

Link up (लिंक अप)

बैनेफिट सलाह से

गेटस्हेड काऊनसिल

हाऊजिंग और काऊनसिल टैक्स बैनेफिट पैसा है जोकि गेटस्हेड काऊनसिल आपके हाऊजिंग खर्चों में मदद के लिये दे सकती है।

कौन अर्जी दे सकता है ?

कोई भी जिनकी उमर 16 साल या सोलह से उपर है, कम आमदनी वाले, जो किराया और / या काऊनसिल टैक्स, और वो सभी लोग जो:

- फुल या पार्ट टाइम काम करते हैं या अपना ही कोई काम करते हैं।
- बेरोज़गार हैं।
- रिटायर्ड हैं।

आप हैरान होंगे कि हम क्या मदद दे सकते हैं, इसलिये अधिक समय ना गंवाते हुए, हमें आज ही संपर्क किजिये।

ज्यादा जानकारी के लिये या क्लेम करने के लिये

हमें इस नम्बर पर संपर्क किजिये (0191) 433 4646 या इस पते पर ईमेल किजिये benefitenquiries@gateshead.gov.uk

दा पैनशन सर्विस

पैनशन सर्विस बैनेफिट सलाह और क्लेम फौम को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हम लोग कस्टुमर्स के लिये घर में मिलने का इंतज़ाम कर सकते हैं क्लेम फौम को पूरा करने के लिये, उन सभी बैनेफिट के लिये जैसे कि नियुक्त करने का इंतज़ाम उनके लिये जो अब अपना कार्य करने में असमर्थ हैं और सलाह देना और लोकल संस्थाओं को संकेत चिन्ह से सूचित करना।

संपर्क किजिये 0191 201 1636 या 0191 201 1638 या इस पते पर ईमेल करें:

Pensions-Gateshead-and-South- Tyneside@jobcentreplus.gsi.gov.uk